2014 का विधेयक संख्यांक 36

[दि सिटिजनशिप (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिंदी अनुवाद]

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2015

नागरिकता अधिनियम, 1955 का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(*2*) यह 6 जनवरी, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1955 का 57 **2.** नागरिकता अधिनियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— धारा 2 का संशोधन।

'(ङङ) ''भारत का कार्ड धारक विदेशी नागरिक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 7क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;'।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में,— धारा 5 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (च) में, ''एक वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा है'' शब्दों के स्थान पर, ''बारह मास पूर्व से भारत में मामूली तौर से निवासी है'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (छ) में,—

(अ) ''भारत के विदेशी नागरिक'' शब्दों के स्थान पर, ''भारत का कार्ड धारक विदेशी नागरिक'' शब्द रखे जाएंगे;

(आ) ''एक वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा है'' शब्दों के स्थान पर, ''बारह मास पूर्व से भारत में मामूली तौर से निवासी है'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं, परिस्थितियों को अभिलिखित करने के पश्चात् उपधारा (1) के खंड (च) और खंड (छ) तथा स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) में विनिर्दिष्ट बारह मास की अवधि को अधिकतम तीस दिन के लिए, जो विभिन्न खंडों में हो सकेगी, शिथिल कर सकेगी।''।

नई धारा 7क, धारा 7ख, धारा 7ग और धारा 7घ का प्रतिस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 7क, धारा 7ख, धारा 7ग और धारा 7घ के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक का रजिस्ट्रीकरण।

''7क. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी शर्तों, निर्बंधनों और रीति के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर,—

(क) किसी वय: प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्य के ऐसे व्यक्ति को,—

(i) जो दूसरे देश का नागरिक है, किन्तु संविधान के प्रारंभ के समय या उसके पश्चात् किसी समय भारत का नागरिक था; या

(ii) जो दूसरे देश का नागरिक है, किन्तु संविधान के प्रारंभ के समय भारत का नागरिक होने के लिए पात्र था; या

(iii) जो दूसरे देश का नागरिक है, किन्तु ऐसे राज्यक्षेत्र का निवासी था, जो 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् भारत का भाग बन गया था; या

(iv) जो किसी ऐसे नागरिक का पुत्र/पुत्री या पौत्र/पौत्री, दौहित्र/दौहित्री या प्रपौत्र/प्रपौत्री, प्रदौहित्र/प्रदौहित्री है; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो खंड (क) में वर्णित किसी व्यक्ति का अप्राप्तवय पुत्र/पुत्री है; या

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अप्राप्तवय पुत्र/पुत्री है और जिसके माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या माता-पिता में से एक भारत का नागरिक है; या

(घ) भारत के किसी नागरिक के विदेशी मूल के पति या पत्नी को या धारा 7क के अधीन रजिस्ट्रीकृत भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के विदेशी मूल के पति या पत्नी को और जिसका विवाह इस धारा के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने के ठीक पहले रजिस्ट्रीकृत हो गया है और दो वर्ष की निरंतर अवधि तक बना हुआ है,

भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर सकेगी:

परंतु भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण की पात्रता के लिए ऐसे पति या पत्नी को भारत में किसी सक्षम प्राधिकारी से पूर्विक सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा:

परंतु यह और कि कोई ऐसा व्यक्ति, जो स्वयं या जिसके माता-पिता या पितामह-पितामही या प्रपितामह-प्रपितामही पाकिस्तान, बंग्लादेश या ऐसे अन्य देश का, जिसको केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, नागरिक है या रहा था, इस उपधारा के अधीन भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिससे भारतीय मूल के विद्यमान कार्डधारक व्यक्तियों को भारत का कार्डधारक विदेशी नागरिक समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मूल के कार्डधारक व्यक्तियों से इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 26011/4/98 एफ॰आई॰ तारीख 19 अगस्त, 2002 के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अभिप्रेत हैं।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विशेष परिस्थितियां विद्यमान है, लिखित में परिस्थितियां अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्टर कर सकेगी।

भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक को अधिकार प्रदान किया जाना।

7ख. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत का कार्डधारक कोई विदेशी नागरिक, उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारों से भिन्न, ऐसे अधिकारों का, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, हकदार होगा।

(2) भारत का कार्डधारक कोई विदेशी नागरिक,—

(क) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में संविधान के अनुच्छेद 16 के अधीन;

(ख) राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए संविधान के अनुच्छेद 58 के अधीन;

(ग) उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए संविधान के अनुच्छेद 66 के अधीन;

(घ) उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 124 के अधीन;

(ङ) उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 217 के अधीन;

(च) मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 के अधीन; (1950 का 43)

(छ) यथास्थिति, लोक सभा या राज्य सभा का सदस्य होने के लिए पात्रता के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 और धारा 4 के अधीन; (1951 का 43)

(ज) किसी राज्य की, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य होने के लिए पात्रता के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 5, धारा 5क और धारा 6 के अधीन; (1951 का 43)

(झ) संघ या किसी राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए, सिवाय ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

भारत के नागरिक को प्रदान किए गए अधिकारों का हकदार नहीं होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

भारत के विदेशी नागरिक के कार्ड का त्यजन।

7ग. (1) यदि वयः प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्य का भारत का कार्डधारक कोई विदेशी नागरिक विहित रीति में भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के रूप में उसे रजिस्टर किए जाने संबंधी कार्ड का त्यजन करते हुए कोई घोषणा करता है तो वह घोषणा केन्द्रीय सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जाएगी और ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर ऐसा व्यक्ति भारत का कार्डधारक विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन भारत का कार्डधारक विदेशी नागरिक नहीं रह जाता है वहां उस व्यक्ति का विदेशी मूल का पति या पत्नी, जिसने धारा 7क की उपधारा (1)

के खंड (घ) के अधीन भारत के विदेशी नागरिक होने का कार्ड अभिप्राप्त किया है और उस व्यक्ति का भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक अप्राप्तवय बालक तदुपरि भारत का कार्डधारक विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा।

भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण।

7घ. केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण कपट, मिथ्या व्यपदेशन द्वारा या किसी तात्विक तथ्य को छिपाकर अभिप्राप्त किया गया था; या

(ख) भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक ने विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति अप्रीति पूर्ण दर्शित किया है; या

(ग) भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक ने, किसी ऐसे युद्ध के दौरान, जिसमें भारत लगा हुआ हो, किसी शत्रु के साथ विधिविरुद्धतया व्यापार किया है या संचार किया है या वह किसी ऐसे कारबार या वाणिज्यिक क्रियाकलाप में लगा रहा है या उससे सहयुक्त रहा है, जिसके बारे में उसे यह ज्ञात था कि वह ऐसी रीति से चलाया जा रहा है कि उससे उस युद्ध में किसी शत्रु को सहायता मिले; या

(घ) भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक को, धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् पांच वर्ष के भीतर, दो वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए कारावास से दंडादिष्ट हो चुका है; या

(ङ) भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी विदेश के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंधों के हितों में या जनसाधारण के हितों में ऐसा करना आवश्यक है; या

(च) भारत के ऐसे किसी कार्डधारक विदेशी नागरिक का, जिसने धारा 7क की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन ऐसा कार्ड अभिप्राप्त किया है, विवाह,—

(*i*) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अन्यथा विघटित कर दिया गया है; या

(*ii*) विघटित नहीं किया गया है, किन्तु ऐसे विवाह के बने रहने के दौरान, उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह का अनुष्ठापन किया है।''।

धारा 18 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ङङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(ङङक) ऐसी शर्तें और रीति जिनके अध्यधीन किसी व्यक्ति को धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा;

(ङङख) धारा 7ग की उपधारा (1) के अधीन भारत के विदेशी नागरिक के कार्ड के त्यजन की घोषणाएं करने की रीति;''।

तृतीय अनुसूची का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची के खंड (ग) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं, तो वह ऐसी परिस्थितियों को अभिलिखित करने के पश्चात् बारह मास की अवधि को अधिकतम तीस दिन तक के लिए शिथिल कर सकेगी, जो विभिन्न खंडों में हो सकेगी।''।

निरसन और व्यावृत्ति।

7. (1) नागरिता (संशोधन) अध्यादेश, 2014 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

2015 का अध्यादेश।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएंगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नागरिकता अधिनियम, 1955 (नागरिकता अधिनियम) संविधान के प्रारंभ होने के पश्चात्, जन्म, अवजनन, रजिस्ट्रीकरण, देशीयकरण और राज्यक्षेत्र के मिल जाने से भारत की नागरिकता के अर्जन और अवधारण का तथा कतिपय परिस्थितियों के अधीन नागरिकता के त्यजन, पर्यवसान और वंचन का उपबंध करने के लिए है।

2. नागरिकता अधिनियम का, अन्य बातों के साथ-साथ भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण करने, ऐसे नागरिकों को कतिपय अधिकार प्रदान करने, विदेशी नागरिकता का त्यजन करने और भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के सामर्थ्यकारी उपबंध करने के लिए, समय-समय पर संशोधन किया गया है।

3. नागरिकता अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन, ऐसी कपिपय कमियों जो नागरिकता अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन और उनके पुनर्विलोकन के दौरान ध्यान में आई थीं के कारण अपेक्षित हैं। प्रस्तावित संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए हैं—

(क) नागरिकता अधिनियम की धारा 5 का संशोधन, जिससे कि,—

(*i*) उपधारा (1) के खंड (च) और खंड (छ) में, ''एक वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा है'' शब्दों के स्थान पर, ''बारह मास पूर्व से भारत में मामूली तौर से निवासी है'' शब्द रखे जा सकें;

(*ii*) ''भारत के विदेशी नागरिक'' शब्दों के स्थान पर ''भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक'' शब्द रखे जा सकें;

(*iii*) उपधारा (1) के खंड (च) और खंड (छ) तथा स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) में विनिर्दिष्ट बारह मास की अवधि को अधिकतम तीस दिन तक के लिए जो विभिन्न खंडों में हो सकेगी, शिथिल करने के लिए, केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने हेतु, नई उपधारा (1क) का अंत:स्थापन किया जा सके;

(ख) नागरिकता अधिनियम की धारा 7क, 7ख, 7ग और 7घ का प्रतिस्थापन जिससे निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सके—

(*i*) भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक का रजिस्ट्रीकरण और यह भी कि भारतीय मूल के कार्डधारकों को भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक समझे जाएंगे।

(*ii*) भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक को अधिकार प्रदान करना;

(*iii*) भारत के विदेशी नागरिक कार्ड का त्यजन;

(*iv*) भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक कार्ड के रजिस्ट्रीकरण का रद्द करण;

(ग) नागरिकता अधिनियम की तृतीय अनुसूची के खंड (ग) में परंतुक का अंत:स्थापन जिससे देशीयकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए एक अर्हता के रूप में विनिर्दिष्ट, भारत में निवासी के रूप में या भारत सरकार की सेवा में बारह मास की अवधि को अधिकतम तीस दिन तक के लिए जो विभिन्न खंडों में हो सकेगी, शिथिल करने के लिए, केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाना।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली; हरीभाई पारथीभाई चौधरी

20 फरवरी, 2015

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 5 केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित का उपबंध करने हेतु सशक्त करने के लिए है—

(क) वे शर्तें और रीति, जिनके अध्यधीन किसी व्यक्ति को भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा;

(ख) भारत के विदेशी नागरिक कार्ड के त्यजन की घोषणा की रीति।

2. विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 को प्रतिस्थापित करने के लिए नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2015 में अन्तर्विष्ट उपान्तरणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2015 में, जो नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 निरसित और प्रतिस्थापित करने के लिए है, उक्त अध्यादेश में अन्तर्विष्ट उपबंधों में पारिणामिक या प्रारूपण प्रकृति संबंधी उपान्तरणों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपान्तरणों का प्रस्ताव है, अर्थात्:—

(1) धारा 7क की उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक में ''या जिसके माता-पिता या पितामह-पितामाही या प्रपितामह-प्रपितामाही'' शब्द अन्त:स्थापित किए गए हैं।

(2) धारा 7क की उपधारा (2) के पश्चात् यह उपबंध करने के लिए उपधारा (3) अन्त:स्थापित की गई है कि उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं, लिखित में परिस्थितियां अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्टर कर सकेगी।

उपाबंध

नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 57) से उद्धरण

* * * * *

निर्वचन 2. (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

* * * * *

(डड) ''भारत का विदेशी नागरिक'' से धारा 7क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

और धारा 7क का उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

* * * * *

रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता।

5. (1) इस धारा के उपबंधों तथा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के जैसे विहित किए जाएं, अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार, इस निमित्त किए गए आवेदन पर किसी ऐसे व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर सकेगी जो कोई अवैध प्रवासी नहीं है, जो संविधान या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के आधार पर पहले ही ऐसा नागरिक नहीं है, यदि वह निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग का है, अर्थात्:—

* * * * *

(च) वय: प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्य का ऐसा व्यक्ति जो या जिसके पिता/माता में से कोई पहले स्वतंत्र भारत का नागरिक था और रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन करने के ठीक एक वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा है;

(छ) वय: प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्य का ऐसा व्यक्ति जो भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पांच वर्ष से रजिस्ट्रीकृत किया गया है और जो रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा है।

स्पष्टीकरण 1—खंड (क) और खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, किसी आवेदक को भारत में मामूली तौर से निवासी समझा जाएगा, यदि,—

(i) वह रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के ठीक बारह मास पूर्व की संपूर्ण अवधि में भारत में रहा है; और

(ii) उसने बारह मास की उक्त अवधि के ठीक पूर्ववर्ती आठ वर्षों के दौरान कम से कम छह वर्ष की अवधि के लिए भारत में निवास किया है।

* * * * *

विदेशी नागरिकता

भारत के विदेशी नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण।

7क. केन्द्रीय सरकार ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर,—

(क) किसी वय: प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्य के ऐसे व्यक्ति को,—

(i) जो दूसरे देश का नागरिक है, किन्तु संविधान के प्रारंभ के समय या उसके पश्चात् किसी समय भारत का नागरिक था; या

(ii) जो दूसरे देश का नागरिक है किन्तु संविधान के प्रारंभ के समय भारत का नागरिक होने के लिए पात्र था; या

(iii) जो दूसरे देश का नागरिक है किन्तु ऐसे राज्यक्षेत्र का है जो 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् भारत का भाग बना है; या

(iv) जो किसी ऐसे नागरिक का पुत्र/पुत्री या पौत्र/पौत्री है; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो खंड (क) में वर्णित किसी व्यक्ति का अप्राप्तवय पुत्र/पुत्री है,

भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्टर कर सकेगी :

परन्तु कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बंगला देश या ऐसे अन्य देश का, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, नागरिक है या रहा था, भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

भारत के विदेशी नागरिकों को अधिकारों का प्रदान करना।

7ख. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भारत का कोई विदेशी नागरिक [उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारों से भिन्न] ऐसे अधिकारों का जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, हकदार होगा।

(2) भारत का कोई विदेशी नागरिक,—

(क) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में संविधान के अनुच्छेद 16 के अधीन;

(ख) राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए संविधान के अनुच्छेद 58 के अधीन;

(ग) उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संविधान के अनुच्छेद 66 के अधीन;

(घ) उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 124 के अधीन;

(ङ) उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 217 के अधीन;

(च) मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 1950 का 43
की धारा 16 के अधीन;

(छ) यथास्थिति, लोक सभा या राज्य सभा का सदस्य होने के लिए पात्रता के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 और धारा 4 के अधीन; 1951 का 43

(ज) किसी राज्य की, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य होने के लिए पात्रता के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 5, धारा 5क और धारा 6 के 1951 का 43
अधीन;

(झ) संघ या किसी राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए, सिवाय ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त विहित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

भारत के नागरिक को प्रदान किए गए अधिकारों का हकदार नहीं होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

विदेशी नागरिकता का त्यजन।

7ग. (1) यदि वय: प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्य का कोई भारत का विदेशी नागरिक अपनी भारत की विदेशी नागरिकता का त्यजन करते हुए कोई घोषणा विहित रीति में करता है तो वह घोषणा केंद्रीय सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जाएगी और ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर ऐसा व्यक्ति भारत का विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन भारत का विदेशी नागरिक नहीं रह जाता है वहां विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत उस व्यक्ति का प्रत्येक अवयस्क बालक, तदुपरि भारत का विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा।

भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण।

7घ. (1) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन अनुदत्त किए गए रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) भारत के विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण कपट, मिथ्या व्यपदेशन या किसी तात्विक तथ्य को छिपाने के द्वारा अभिप्राप्त किया गया था; अथवा

(ख) भारत के विदेशी नागरिक ने विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति अप्रीति दर्शित की है; अथवा

(ग) भारत के विदेशी नागरिक ने, किसी ऐसे युद्ध के दौरान जिसमें भारत लगा हुआ हो, किसी शत्रु के साथ अविधिपूर्ण रूप से व्यापार किया है या संचार किया है या वह किसी ऐसे कारबार या वाणिज्यिक क्रियाकलाप में लगा रहा है या उससे सहयुक्त रहा है जो कि उसकी जानकारी में ऐसी रीति से चलाया जा रहा था कि उससे उस युद्ध में किसी शत्रु की सहायता हो; या

(घ) भारत के विदेशी नागरिक को धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् पांच वर्ष के भीतर दो वर्ष से अन्यून की अवधि के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है; या

(ङ) भारत की प्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी विदेश के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंधों के हितों में या साधारण जनता के हितों में ऐसा करना आवश्यक है।

* * * * * *

तृतीय अनुसूची

[धारा 6(1) देखिए]

देशीयकरण के लिए अर्हताएं

ऐसे व्यक्ति के देशीयकरण के लिए अर्हताएं ये हैं कि—

* * * * * *

(ग) आवेदन की तारीख से अव्यवहित पूर्व बारह मास की कालावधि भर वह या तो भारत में निवासी रहा है या भारत में किसी सरकार की सेवा में रहा है अथवा भागत: निवासी रहा है और भागत: सेवा में रहा है;

* * * * * *

GMGIPMRND—4633LS(S3)—23.02.2015.